

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 89/2022

प्रार्थी

श्री मंछाराम पुत्र खसाजी, जाति-माली, निवासी-मण्डवारिया, तहसील व जिला-सिरौही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, कालन्दी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्दी, जिला- सिरौही
2. श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार रावल, जाति- रावल, निवासी- कालन्दी, तहसील व जिला- सिरौही के वारिसान :-
2/1. खशबु पुत्री श्री जगदीश रावल, निवासी-कालन्दी, तह. व जिला-सिरौही
2/2. निकिता पुत्री श्री जगदीश रावल, निवासी-कालन्दी, तहसील व जिला-सिरौही
2/3. यश पुत्र श्री जगदीश रावल, निवासी-कालन्दी, तह. व जिला-सिरौही

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

- (1) अधिवक्ता श्री कलीम अब्बल, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
- (2) अधिवक्ता श्री मोहन सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से
- (3) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक 17 अक्टूबर, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांक: 2022/87 दिनांक 24-6-2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कालन्दी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कालन्दी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कालन्दी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं ग्राम पंचायत, कालन्दी की ओर से जबाव प्रस्तुत किया। इस निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान इस निगरानी प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार रावल, निवासी- कालन्दी ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर बाद सुनवाई इस निगरानी प्रकरण में सुन्दर देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार रावल, निवासी- कालन्दी को बतौर पक्षकार (अप्रार्थी संख्या 2) बनाये जाने के आदेश पारित किये गये। तदनुसार संशोधित अनवान प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी सुन्दर देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार रावल, निवासी- कालन्दी की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी सुन्दर देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार रावल, निवासी- कालन्दी के वारिसान (अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3) ने इस प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आदेश 01 नियम 10 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया। जिस पर बाद सुनवाई इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किया गया। तदनुसार पुनः संशोधित अनवान शीर्षक प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 की ओर से उनके अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन का जबाव प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कलीम अब्बल ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त

.....पेज दो पर

Luah

अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)



किया कि गांव कालन्द्री, तहसील व जिला- सिरौही में गांव के बाहर आबादी भूमि एवं हस्तिनापुर जाने वाली सड़क के पास आबादी क्षेत्र में प्रार्थी की खरीदशुदा व पट्टाशुदा भूमि पर प्रार्थी के स्वामित्व का भूखण्ड जिस पर प्रार्थी द्वारा पक्का मकान बनाया है व आया हुआ है। प्रार्थी का उपरोक्त भूखण्ड पर खरीद की तारीख 02-06-1997 से ही अनवरत बिना किसी रोक-टोक के आम जन, अप्रार्थी एवं कालन्द्री के तमाम व्यक्तियों की जानकारी में कब्जा चला आ रहा है, जिस भूमि पर प्रार्थी द्वारा वर्ष 2004 में पक्का मकान बना हुआ है, तथा भूखण्ड खरीद के बाद से आज तक एवं उसके बाद उस पर मकान निर्माण किये जाने के बाद से ही उपरोक्त मकान व उसके पीछे पूर्व दिशा की भूमि पर उसके मकान से लगता प्रार्थी का कब्जा वर्ष 1997 से ही अनवरत बेरोक-टोक के शांतिपूर्ण सर्वजन की जानकारी में आया हुआ है। प्रार्थी के खरीदशुदा, पट्टाशुदा एवं कब्जाशुदा भूमि एवं उस पर बनाये मकान का नाप व चतुर्दशी तत्समय खरीद की जाने वाली रजिस्ट्री एवं भूमि का नाप उत्तर में 60 फीट, दक्षिण में 50 फीट, पूरब में 20 फीट व पश्चिम में 20 फीट कुल 1100 वर्गफीट है एवं चतुर्दशी उत्तर दिशा में खिम सिंह, वर्तमान में कैलाश मोदी का मकान, दक्षिण दिशा में धोबी सोना गंगारामजी, वर्तमान में ईश्वरजी, दक्षिण में रास्ता व दरवाजा व पश्चिम दिशा में रास्ता, डोडुआ जाने वाली सड़क है। प्रार्थी के पट्टाशुदा, कब्जाशुदा उसके पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये खरीदशुदा भूखण्ड, जिस पर प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से अनुमति, एवं अनापत्ति लेकर पट्टाशुदा भूमि पर पट्टा अनुसार मकान बनाया है, उक्त स्थल एवं आस-पड़ोस के प्लॉट्स/मकानात का नजरी नक्शा निगरानी आवेदन में संलग्न है। प्रार्थी के कब्जा स्वामित्व की उक्त वर्णित भूमि के पट्टा संख्या 30 दिनांक 11-03-1979 का तत्कालीन ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा खिम सिंह पुत्र रतन सिंहजी, जाति-राजपूत, निवासी- कालन्द्री के नाम से जारीशुदा है, इस पट्टाशुदा भूमि को पट्टाधारक खिम सिंह पुत्र रतन सिंहजी द्वारा दिनांक 16-07-1981 को श्री बाबू खां पुत्र रमजान खांजी, जाति- मुसलमान, निवासी- कालन्द्री को बेचान किया एवं श्री बाबू खां पुत्र रमजान खांजी द्वारा दिनांक 02-09-1984 को श्री रामाराम पुत्र कूपाजी, जाति- माली, निवासी- कालन्द्री को बेचान किया, तथा श्री रामाराम पुत्र कूपाजी से प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि जरिये पंजिबद्ध विक्रय विलेख के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया है तथा उक्त सभी अन्तरण पंजिबद्ध विक्रय विलेख के जरिये हुए हैं, जिसकी अप्रार्थी को पूर्ण जानकारी है। प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा उपरोक्त भूमि के पूर्व दिशा में रास्ता व तत्पश्चात् खालसा भूमि है, जिस रास्ते में प्रार्थी द्वारा उसके पट्टानुसार खिड़की व दरवाजा ग्राम पंचायत से अनुमति एवं अनापत्ति लेकर खोले गये, उसके अलावा भी उपरोक्त रास्ते में प्रार्थी के दक्षिण दिशा के पड़ोसी श्री ईश्वरलाल द्वारा भी खिड़की एवं रोशनदान खोले हुए हैं, जिनके पट्टा में भी पूर्व दिशा में 5 फीट की गली है, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौके की स्थिति से स्पष्ट है। प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि के पूर्व दिशा में स्थित 5 फीट गली, एवं तत्पश्चात् खालसा भूमि है, जिस गली में प्रार्थी द्वारा मकान निर्माण के वक्त ग्राम पंचायत, कालन्द्री से अनुमति व स्वीकृति लेकर बिना किसी आपत्ति के मकान निर्माण करवाया, तथा उस वक्त पूर्व दिशा में दरवाजा व खिड़की खोली गयी, उसके बाद गली को छोड़कर खालसा भूमि जो निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शों में ABCD दर्शाया हुआ है जिस पर प्रार्थी का वर्ष 1979 से ही अनवरत बतौर मालिक कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के पट्टाशुदा मकान के पूर्व दिशा में स्थित गली के बाद की प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि के बाद जगदीश रावल का मकान है, जिसका दरवाजा उसके पूर्व दिशा में है, जो जगदीश कुमार प्रार्थी की वर्ष 1979 से अनवरत कब्जाशुदा उक्त खालसा ABCD भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से प्रार्थी की झूठी शिकायतें करता आ रहा है, जो प्रार्थी के पट्टाशुदा मकान के पूर्व दिशा में स्थित 5 फीट चौड़ी गली में ग्राम पंचायत, कालन्द्री की अनुमति, अनापत्ति एवं

..... पेज तीन पर

Letz

अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)



स्वीकृति से खाले गये दरवाजे, खिड़की एवं रोशनदान को अप्रार्थी एवं अन्य कर्मचारियों से मेल-मिलाप कर खिड़की दरवाजे व रोशनदान को अवैध रूप से जबरन बन्द करवाने की नाजायज कोशिश कर रहा है, एवं अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा भी उपरोक्त जगदीश रावल की झूठी शिकायतों पर प्रार्थी को उसके पट्टाशुदा मकान के खिड़की, दरवाजा, एवं रोशनदान बन्द करने हेतु बिना किसी अधिकार के, एवं बिना किसी वैध प्रस्ताव के प्रार्थी के पट्टाशुदा मकान की चतुर्दशी का मिलान नहीं होना बताकर दिनांक 24-06-2022 को नोटिस/आदेश जारी किया है कि प्रार्थी उसके पट्टाशुदा मकान में ग्राम पंचायत की अनुमति से किये गये निर्माण कार्य एवं मकान निर्माण में खाली रखी खिड़की व दरवाजे बन्द करें, अन्यथा पंचायत द्वारा जबरन बन्द करवा दी जावेगी। अप्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा अपने अधिकारातीत जारी उपरोक्त प्रश्नगत विनिश्चयात्मक आदेश दिनांक 24-06-2022 पूर्णतः अवैध, गलत, एवं Arbitrary होकर विधि विरुद्ध हैं। प्रश्नगत आदेश/नोटिस जारी किये जाने से पूर्व प्रार्थी को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया गया एवं न ही पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा बनाई गई कोई तथाकथित रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवायी गयी है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में क्लेम किये जाने के बाद भी उसे दस्तावेजात उपलब्ध नहीं करवाया गया, एवं बिना किसी आधार के उपरोक्त आलोच्य विनिश्चयात्मक आदेश दिनांक 24-6-2022 जारी किया गया है, जो कि स्पष्टतः गलत, अधिकारातीत एवं विधि विरुद्ध होकर प्रारंभतः शुन्य है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा जारी नोटिस/आदेश दिनांक 24-6-2022 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ग्राम पंचायत, कालन्दी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के जबाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा खरीद शुदा भूखण्ड जिसका पट्टा ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा जारी किया हुआ नहीं है जिस पर विक्रय विलेख में अंकित चतुर्दशी से भिन्न चतुर्दशी पर मकान का निर्माण किया गया है एवं स्वयं के खरीद शुदा भूखण्ड से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। प्रार्थी का खरीद शुदा प्लॉट का पट्टा संख्या 30 दिनांक 11-03-1979 ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा खीमसिंह पुत्र श्री रतनसिंह, जाति-राजपूत, निवासी- कालन्दी के नाम से जारी किया हुआ नहीं है एवं चतुर्दशी भी गलत दर्शायी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर मकान निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी विक्रय विलेख के आधार पर प्राप्त किया है, लेकिन मौके की स्थिति विक्रय विलेख के दस्तावेज से भिन्न है। प्रार्थी द्वारा दर्शाई गई उक्त चतुर्दशी मौके पर स्थित चतुर्दशी से भिन्न है। प्रार्थी के द्वारा मौके पर स्थित चतुर्दशी से भिन्न चतुर्दशी दर्शाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार करवाया गया है। मौके की स्थिति के अनुसार प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि के पूर्व दिशा में सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार के नाम से ग्राम पंचायत कालन्दी द्वारा पट्टा संख्या 01 जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, कालन्दी से मकान निर्माण हेतु अनुमति व स्वीकृति विक्रय विलेख दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किये है। प्रार्थी के मकान के पूर्व दिशा में मौके पर 5 फीट की गली मौजूद नहीं है। प्रार्थी के मकान के पूर्व दिशा में जगदीश रावल का मकान है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत कालन्दी द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, कालन्दी से पंजीकृत विक्रय विलेख की चतुर्दशी के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, लेकिन मौके पर उक्त चतुर्दशी स्थित नहीं है। मौके पर उक्त चतुर्दशी प्रार्थी के विक्रय विलेख से मेल नहीं खाती है, जिसकी जांच रिपोर्ट पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही द्वारा तैयार की गई है जिसके आधार पर प्रार्थी को अप्रार्थी ग्राम विकास अधिकारी कालन्दी द्वारा नोटिस दिनांक 24-6-2022 व उससे पूर्व नोटिस जारी कर पाबन्द किया गया कि ग्राम पंचायत से पूर्व में प्राप्त

.....पेज चार पर



अति. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)

अनुमति प्रमाण पत्र के आधार पर मकान निर्माण में खोली गई खिड़की व दरवाजे बंद कर देवे। ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/3 के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने उनके जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी का गांव कालन्दी में मकान अवश्य बना हुआ है तथा प्रार्थी ने वर्ष 1997 में 1100 वर्गफीट का भूखण्ड रामा पुत्र कुपाजी से खरीद किया था लेकिन उस खरीद शुदा भूखण्ड की चतुदर्शी व प्रार्थी द्वारा इस निगरानी आवेदन में उल्लेखित चतुदर्शी मौके की चतुदर्शी से मेल नहीं खाती हैं तथा प्रार्थी द्वारा इस विक्रय विलेख की आड में पंचायत की भूमि पर कब्जा कर अपना मकान बनाया हुआ है एवं उस मकान के पीछे पूर्व दिशा में प्रार्थी का न तो कभी कब्जा रहा है और न ही कभी हक अधिकार रहा है, जबकि प्रार्थी के मकान के पीछे की तरफ ही प्रार्थी के भूखण्ड से लगता सुन्दर देवी पत्नी जगदीश कुमार रावल, निवासी— कालन्दी का भूखण्ड आया हुआ है जिसका पट्टा भी ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1983 में जारी किया हुआ है तथा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व से ही उक्त आबादी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवार का ही कब्जा है। प्रार्थी द्वारा खरीद की गई भूमि के विक्रय विलेख में अंकित चतुदर्शी निगरानी आवेदन में अंकित की हैं तथा प्रार्थी ने स्वयं निगरानी आवेदन में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी के कब्जे शुदा व पट्टे शुदा भूमि का नाप 1100 वर्गफीट है एवं वर्तमान में 1100 वर्गफीट भूमि पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपना मकान निर्माण करवाते समय अवैध तरीके से सुन्दर देवी पत्नी जगदीश कुमार रावल के भूखण्ड की तरफ दरवाजा खोला हुआ है जिस पर सुन्दरदेवी द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाये जाने पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही से प्रार्थी व सुन्दर देवी के भूखण्ड की जांच करवाने पर सहायक विकास अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रार्थी द्वारा सुन्दर देवी के भूखण्ड में अवैध तरीके से दरवाजा खोला हुआ है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जे शुदा भूखण्ड की चतुदर्शी व प्रार्थी द्वारा खरीद किये गये भूखण्ड की चतुदर्शी का मिलान नहीं होता है और न ही मौके पर पूर्व दिशा में गली या रास्ते का अस्तित्व ही है, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा खोले गये अवैध दरवाजे को बंद करने के लिए शिकायत दिये जाने पर प्रार्थी ने अपने निगरानी आवेदन के साथ गलत नक्शा प्रस्तुत कर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। सहायक विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच में प्रार्थी के बयान तथा प्रार्थी का पक्ष जानने के बाद अपना नतीजा दिया है एवं दौराने जांच सहायक विकास अधिकारी द्वारा प्रार्थी से पट्टे की मांग किये जाने पर प्रार्थी ने स्वयं ने यह बताया है कि प्रार्थी के पास पट्टा नहीं है तथा ग्राम पंचायत, कालन्दी के कार्यालय में भी प्रार्थी द्वारा उल्लेखित पट्टे व मिसल का अभाव है। ग्राम पंचायत कालन्दी द्वारा कभी भी खिमसिंह पुत्र रतनसिंह के नाम से पट्टा संख्या 30 जारी नहीं किया है जिससे प्रार्थी द्वारा गलत आधार पर विक्रय विलेख का निष्पादन किया गया होने से प्रार्थी द्वारा पंजीबद्ध करवाये गये विक्रय विलेख भी अवैध दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं एवं ऐसे दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थी के मकान के पूर्व दिशा में ही सुन्दर देवी पत्नी जगदीश कुमार का भूखण्ड आया हुआ है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1983 को उस भूखण्ड के तत्समय के स्वामी के नाम से जारी किया हुआ है जिसकी मिसल व अन्य दस्तावेज वर्तमान में भी पंचायत कार्यालय में मौजूद है एवं सुन्दर देवी के पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार की कोई गली अंकित की हुई नहीं है जिससे यह साबित हो रहा है कि वर्ष 1983 में वहां पर कोई गली नहीं थी एवं प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड को हडप करने के लिए अवैध तरीके से खिड़की, दरवाजा खोला हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी किये जाते समय पट्टे

Subhपेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



की वैधता के बारे में जांच नहीं की जाती एवं ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को उसके विक्रय विलेख में उल्लेखित भूखण्ड पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की होगी, परन्तु प्रार्थी ने वर्तमान में जहां पर मकान का निर्माण करवाया है उस जगह पर निर्माण की स्वीकृति ग्राम पंचायत, कालन्दी ने कभी भी प्रदान नहीं की तथा न ही ग्राम पंचायत को सुन्दरदेवी पत्नी जगदीश कुमार के भूखण्ड में अवैध दरवाजा खोलने की अनुमति देने का कोई हक अधिकार था। प्रार्थी के मकान के पूर्व दिशा में सुन्दर देवी पत्नी जगदीश रावल का भूखण्ड है, लेकिन प्रार्थी ने भूखण्ड स्वामी सुन्दरदेवी पत्नी जगदीश कुमार रावल की सहमति के बिना ही उक्त भूखण्ड में दरवाजा खोले जाने पर भूखण्ड की स्वामी सुन्दर देवी द्वारा शिकायत किये जाने पर पंचायत समिति, सिरोही द्वारा की गई जांच से भी यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रार्थी ने पूर्व दिशा में अवैध तरीके से दरवाजा खोला है एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा जांच के पश्चात् अप्रार्थी ग्राम पंचायत को उक्त दरवाजा बंद करवाये जाने का निर्देश देने पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत ने नियमानुसार दिनांक 08-12-2021 को उक्त दरवाजा बन्द करने का निर्देश दिया परन्तु उस निर्देश के बावजूद भी दरवाजा बन्द नहीं किये जाने पर पुनः दिनांक 24-06-2022 को अप्रार्थी ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को नियमानुसार नोटिस जारी कर दरवाजा बन्द किये जाने का निर्देश दिया परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त अवैध दरवाजा बन्द नहीं किया गया है। प्रार्थी को किसी अन्य व्यक्ति के भूखण्ड में दरवाजा खोले जाने का कोई हक अधिकार नहीं है एवं प्रार्थी स्वयं द्वारा पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण कर मकान निर्मित किया हुआ है एवं उस बिल्डिंग लाईन में सभी लोगो के दरवाजे पश्चिम दिशा की ओर हैं परन्तु प्रार्थी बाहुबल व धनबल के आधार पर सुन्दर देवी पत्नी जगदीश कुमार के भूखण्ड में दरवाजा खोलकर सुन्दरदेवी पत्नी जगदीश कुमार के भूखण्ड को अनुपयोगी बनाना चाहता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

बहस सुनी गई।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा प्रार्थी मंछाराम पुत्र खसाजी, डोडुआ रोड़, कालन्दी के विरुद्ध नोटिस क्रमांक: 2022/87 दिनांक 24-6-2022 को इस आशय का जारी किया गया है कि "पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट में इनके विक्रय विलेख में अंकित चतुर्दशी का मौके पर स्थित भूखण्ड की चतुर्दशी मिलान नहीं होना व इनके विक्रय विलेख में अंकित चतुर्दशी से भिन्न चतुर्दशी वाले मकान का निर्माण करवाया जाना बताया गया है व मौके पर रास्ते का अस्तित्व नहीं होने से खिडकी, दरवाजा बंद करवाने हेतु इनको पूर्व में भी नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक खिडकी दरवाजा बन्द नहीं किया है, इसलिये तीन दिवस के भीतर खिडकी दरवाजा बन्द कर पंचायत को सूचित करे, अन्यथा पंचायत द्वारा बन्द करवा दिये जायेंगे।" पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा श्री मंछाराम पुत्र खसाजी माली, डोडुआ रोड़, कालन्दी को उक्त खिडकी, दरवाजा बन्द करने हेतु नोटिस क्रमांक 75 दिनांक 10-6-2022 को एवं इससे पहले भी नोटिस क्रमांक 1483 दिनांक 08-12-2021 व नोटिस क्रमांक 1506 दिनांक 22-12-2021 को जारी किये गये हैं।

इस संबंध में प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज पंजीकृत विक्रय विलेख 587/97 दिनांक 02-6-1997 की छाया प्रति के अवलोकन से यह पाया कि श्री मंछाराम पुत्र खासाजी, जाति- माली, निवासी- मण्डवारिया, हाल- कालन्दी, तहसील व जिला- सिरोही द्वारा पट्टा संख्या 30 दिनांक 11-3-1979 का क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट भूखण्ड उक्त पंजीकृत विक्रय

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



विलेख के द्वारा श्री रामाराम पुत्र कूपाजी, जाति- माली, निवासी- कालन्दी से क्रय किया गया है। उक्त विक्रय विलेख दिनांक 02-6-1997 में भूखण्ड का नाप उत्तर में 60 फीट, दक्षिण में 50 फीट, पूर्व में 20 फीट व पश्चिम में 20 फीट कुल नाप 1100 वर्गफीट है एवं विक्रय विलेख में भूखण्ड की अंकित चतुर्दशी उत्तर में खिमसिंह उकसिंह पि0 रताजी का प्लोट, दक्षिण में धोबी सोना गंगारामजी का प्लोट, अब मोहनलाल रावल का प्लोट, पूर्व में रास्ता में दरवाजा व पश्चिम में रास्ता डोडुआ जाने वाले पर दरवाजा है। उक्त विक्रय विलेख में अंकित अनुसार प्रार्थी श्री मंछाराम पुत्र खसाजी माली द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से खरीदशुदा भूखण्ड का ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा पट्टा संख्या 30 दिनांक 11-3-1979 को खिमसिंह पुत्र रतनसिंह जी राजपूत, निवासी- कालन्दी के नाम से बना हुआ है। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, कालन्दी के जबाव में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी के उक्त भूमि का पट्टा संख्या 30 दिनांक 11-3-1979 ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा खीमसिंह पुत्र श्री रतनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- कालन्दी के नाम से जारी किया हुआ नहीं है एवं चतुर्दशी भी गलत दर्शाई गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही को राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज परिवाद क्रमांक 102036-38883723 की उनके पत्रांक 278 दिनांक 11-11-2020 के सन्दर्भ में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में बिन्दु संख्या (1) में यह अंकित किया है कि श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी जगदीश कुमार रावल के आवासीय भूखण्ड जिसका पट्टा सं. प्लोट सं. 01 ग्राम पंचायत, कालन्दी द्वारा श्री सुनील कुमार पुत्र जगदीश कुमार रावल के नाम से जारी किया हुआ है, उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड को दिनांक 13-2-2006 को श्रीमती सुन्दर देवी ने पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय किया था, उक्त पट्टे पर अंकित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में प्लॉट सं. 06 अंकित है। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही की उक्त जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या (2) में यह अंकित किया है कि श्री मंछाराम पुत्र खासाजी माली के आवासीय भूखण्ड जिसको श्री मंछाराम ने पंजीकृत विक्रय से दिनांक 02-6-1997 को क्रय किया था। इस विक्रय विलेख में पट्टा संख्या 30 दिनांक 11-3-1979 श्री खीमसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत, निवासी- कालन्दी के नाम जारी में से उत्तर दिशा का 1100 वर्गफीट भूखण्ड क्रय किये जाने का उल्लेख है। जिसके संबंध में ग्राम पंचायत, कालन्दी से उक्त पट्टे की जानकारी चाहने पर ग्राम विकास अधिकारी, कालन्दी ने उनके पत्रांक 843 दिनांक 07-12-2020 से यह बताया कि श्री खीमसिंह के नाम उक्तानुसार कोई पट्टा पंचायत रिकॉर्ड में जारी किया हुआ नहीं पाया गया है। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही की उक्त जांच रिपोर्ट में बिन्दु संख्या (3) में यह अंकित किया है कि मंछाराम माली के पंजीकृत विक्रय विलेख में पूर्व दिशा में सुन्दर देवी के प्लॉट के स्थान पर रास्ता अंकित है जिसमें दरवाजा अंकित है। मंछाराम माली ने उक्त दरवाजा जो सुन्दर देवी के प्लॉट में खुलता है हाल ही में नयेसर खोला है। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही की उक्त जांच रिपोर्ट में बिन्दु संख्या (4) में यह अंकित किया है कि श्री मंछाराम के विक्रय विलेख में अंकित चतुर्दशी का मौके पर स्थित भूखण्ड की चतुर्दशी से मिलान नहीं हो रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि मंछाराम ने उसके विक्रय विलेख में अंकित चतुर्दशी से भिन्न चतुर्दशी वाले भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया है। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरौही ने उक्त जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि श्री मंछाराम माली द्वारा श्रीमती सुन्दर देवी के भूखण्ड में खोला गया दरवाजा, चतुर्दशी का मौके पर मिलान नहीं होने से एवं मौके पर रास्ते का अस्तित्व नहीं होने से बन्द करवाया जाना उचित रहेगा।



.....पेज सात पर
 अति. जिला कलक्टर
 सिरौही (राज.)


इस प्रकार, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मंछाराम के उक्त विक्रय विलेख दिनांक 02-6-1997 में अंकित चतुर्दशी का मौके पर स्थित भूखण्ड की चतुर्दशी से मिलान नहीं हो रहा है जिससे स्पष्ट होता है कि मंछाराम ने उसके विक्रय विलेख में अंकित चतुर्दशी से भिन्न चतुर्दशी वाले भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया है एवं श्री मंछाराम माली द्वारा श्रीमती सुन्दर देवी के भूखण्ड में दरवाजा खोला गया है व चतुर्दशी का मौके पर मिलान नहीं होता है तथा मौके पर रास्ते का अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही